न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

पत्रावली संख्याः 112/2016 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

रामकुमार पुत्र केशवदेव जाति वैश्य निवासी सलेमपुर खुर्द तहसील भुसावर हाल निवासी महाशय बिल्डिंग, बार्ड नम्बर 15 श्याम मिष्ठान भण्डार के सामने खेडलीगंज तहसील कठूमर जिला अलवर।

.....**अपीलान्ट्स**

बनाम

1. शीलेन्द्र कुमार पुत्र केशवदेव जाति वैश्य निवासी 63/132 पानी की टंकी के पास प्रताप नगर जयपुर।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र केशवदेव जाति वैश्य कैनरा बैंक के ऊपर पुरानी अनाज मण्डी खेडलीगंज तहसील कठूमर जिला अलवर।
3. महेशचंद पुत्र केशवदेव जाति वैश्य निवासी सलैमपुरखुर्द तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
4. गोपालराम पुत्र केशवदेव जाति वैश्य निवासी महाशय बिल्डिंग बार्ड नम्बर 15 श्याम मिष्ठान भण्डार के सामने खेडलीगंज तहसील कठूमर जिला अलवर।
5. मदुसूदन पुत्र केशवदेव जातिवैश्य निवासी महाशय बिल्डिंग बार्ड नम्बर 15 श्याम मिष्ठान भण्डार के सामने खेडलीगंज तहसील कठूमर जिला अलवर।
6. डॉ0 हेमेन्द्र कुमार पुत्र
7. वैभव पुत्र
8. गौरव पुत्र
9. श्रीमती मनोरमा वेवा

   देवेन्द्र कुमार जाति वैश्य नि0 कमरा नं0 29 रेजीमेंट डॉक्टर हॉस्टल सफदरगंज अस्पताल, अनसारी नगर रिंग रोड नई दिल्ली।
10. (फौत) कमलादेवी वेवा केशवदेव जाति वैश्य नि0 महाशय बिल्डिंग बार्ड नम्बर 15 श्याम मिष्ठान भण्डार के सामने खेडलीगंज तहसील कठूमर जिला अलवर।
11. सपना पुत्री देवेन्द्र कुमार पत्नी संदपी जाति वैश्य निवासी 115/एसपी 08, कुम्भामार्ग, प्रताप नगर जयपुर।
12. प्रीति पुत्री देवेन्द्र कुमार पत्नि राजकुमार जाति वैश्य निवासी 9 ए विश्व परैया नगर, त्रिवेणी चौराहे के पास गोपालपुरा बाईपास जयपुर।
13. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर जिला भरतपुर। ,

.....**रैस्पोडेन्ट्स**

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार वैर दिनांक 20.5.2014 वसिलसिले नामान्तरकरण संख्या 311 कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।

उपस्थित :

1. श्री दुलीचंद शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. श्री पकंज कुमार वकील रैस्पोडेन्टस।
3. श्री लोकेन्द्रनाथ चतुर्वेदी वकील रैस्पोडन्ट।

निर्णय

दिनांक : 13.6.2018

यह अपील राज0भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार भुसावर की आज्ञा दिनांक 15.7.2016 नामा0 सं0 2464 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत ने अपने अपीलाधीन आदेश से खातेदार केशवदेव के दिनांक 8.6.2016 को फौत हो जाने पर मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र रजि0 क्रमांक 51/2016 दिनांक 8.6.2016 एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी सजरा के आधार पर विरासतन नामान्तरकरण संख्या 2464 दिनांक 15.7.2016 स्वीकार किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि विवादित भूमि ख0नं0 634/10.14, 638/01.06, 640/00.05, 641/02.15, 642/00.19, 643/03.06, 644/02.14, 647/01.05, 648/04.03, 650/02.10, 651/02.10, 673/00.73, 623/03.12 किता–14 कुल रकबा 37 बीघा 10 विस्बा वाकै ग्राम सलेपुर खुर्द तहसील भुसावर में स्थित है का खातेदार काश्तकार स्व0 केशवदेव थे जो अपीलान्ट के पिता हैं। पिता केशवदेव व माता कमलादेवी अपीलान्ट के साथ रहते चले आ रहे थे पिता के मरने के बाद माता आज भी अपीलान्ट के साथ ही रहती है। अपीलान्ट के पिता केशवदेव ने अपने जीवनकाल में ही अपीलान्ट की सेवा से खुश होकर 100/– रू0 के स्टाम्प पर अपनी राजीखुशी से उक्त खसरा नम्बरों में से केवल 623 को छोडकर दिनांक 26.6.2011 को वसीयत तहरीर कर अन्य जायदाद के साथ वसीयत कर अपीलान्ट के हवाले की थी। उक्त वसीयत दिनांक 26.6.2011 की रूह से अपीलान्ट ही एक मात्र उक्त ख0नं0 के रकबा 37 वीघा 10 विस्बा में से 34 बीघा आराजी पर अपने नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करने का अधिकारी है, परन्तु रैस्पो0 ने साज कर वसीयत के तथ्यों को छुपा कर विरासत का नामा0 सभी के नाम स्वीकृत करा लिया है जो अवैधानिक है। वकील अपीलान्ट का यह भी तर्क है कि अपीलान्ट के हक में हुई वसीयत दिनांक 26.6.2011 को अनदेखा किया गया, अपीलान्ट को बिना सुने अपीलधीन आदेश पारित किया गया। प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों की अवहेलना की गई है। विरासत की सही जांच नहीं की गई। हरखासो आम को उज्रदारी के नोटिस व इश्तहार जारी नहीं किये, तहत अदालत ने मनमाना क्षेत्राधिकार से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अन्त में वकील अपीलान्टस द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2464 दिनांक 15.7.2016 ग्राम सलैमपुर खुर्द निरस्त फरमाया जावे एवं वसीयत के आधार पर अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत तहसीलदार भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.7.2016 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों कि तहत अदालत में अपीलाधीन नामान्तरकरण नियमानुसार विरासत के आधार पर पूर्ण रूपेण कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा वकील रैस्पो0 का तर्क है कि यह नामान्तरकरण स्वयं अर्जित जायदाद का नहीं है बल्कि पैतृक जायदाद का नामान्तरकरण है। अपीलान्ट की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिसके आधार पर इस पैतृक आराजी को स्वयं अर्जित आराजी माना जा सके। इसके अलावा वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है अपितु नोटेरी से अटैस्टेट है। अपीलाधीन नामान्तरकरण पटवारी ने बाद जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप सभी विधिक वारिसानों के नाम भरा गया है जिसे

तहत अदालत ने नियमानुसार जांच कर स्वीकार किया गया है। पटवारी के समक्ष वसीयत ही पेश नहीं की गई तो पटवारी किस आधार पर विरासत के नामान्तरकरण को रोकने में सक्षम है । कथित वसीयत मृत्यु के समय नहीं थी यदि होती तो तत्काल पटवारी अथवा तहत अदालत के समक्ष पेश की जाती जो नहीं की गई और अब चूंकि विधिवत सभी विरासतों के नाम अपीलाधीन नामान्तरण खुल चुका है तो मामला राजस्व अदालत के क्षेत्राधिकार के परे हो जाता है। जहां वसीयत का मामला आ जाता है वहां हक हकूक सिविल न्यायालय में ही तय किये जा सकते है। अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2014 पेज 196–201 पेश किया। उनका यह भी कहना है कि सभी विधिक उत्तराधिकारियों के वेवजह अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते। अपीलाधीन नामान्तरकरण वकायदा मजमेआम में खोला गया है। अब चूंकि नियमानुसार विरासतन नामान्तरकरण खुल चुका है और अब अपीलान्ट कथित फर्जी वसीयत के आधार पर विधिक वारिसानों के हक हकूको को कलमजन कर पैतृक आराजी को अकेले अपने नाम कराना चाहते है तो मृत्योपरान्त वसीयत की वैद्यता पर प्रश्नचिन्ह लगना लाजिमी है यह वसीयत सही है या गलत इस पर अपनी राय व्यक्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व अदालत का न होकर सिविल न्यायालय का है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण काबिल खारिजी के रहती है। अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमाते हुये तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2464 दिनांक 15.7.2016 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2464 के कॉलम संख्या 14 व 16 से जाहिर है कि खातेदार केशवदेव के दिनांक 8.6.2016 को फौत हो जाने पर मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र रजि0 क्रमांक 51/2016 दिनांक 8.6.2016 एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी सजरा के आधार पर विरासतन नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। कॉलम संख्या 9 में सभी वारिसानों के साथ–साथ स्वयं अपीलान्ट का नाम भी अकित है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि खातेदार केशवदेव जो उसके पिता है के द्वारा एक वसीयत उसके हक में की गई थी उसके अनुरूप नामान्तरकरण भरा जाना चाहिऐ था। किन्तु दौराने नामान्तरकरण स्वीकृति यह वसीयत कहां थी और अचानक नामान्तरकरण स्वीकृति के उपरान्त प्रकट हो गई अपीलान्ट द्वारा इस संबध में कोई संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया और न ही पटवारी के समक्ष नामान्तरकरण भरते समय पेश क्यों नहीं की गई इस संबध में भी कोई उचित कारण नहीं बता सके। जबकि अपीलाधीन नामान्तरकरण तहत अदालत द्वारा बाद जांच एवं सरपंच, ग्राम पंचायत सलैमपुरखुर्द द्वारा जारी मृतक खातेदार केशवदेव के सजरा के आधार पर खोला गया है जिसमें सभी वारिसानों का वखूबी अंकन है। इतने दिनों बाद कथित वसीयत का जिक्र आने से उसका वास्तविक अस्तित्व एवं उसकी सदभाविकता का सशंय के घेरे में आना लाजिमी है। इस प्रकार किसी वसीयत का समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त सामने आना दस्तावेज के अस्तित्व को तो साबित कर सकता है किन्तु उसकी सदभाविकता को नहीं। जब तक उक्त वसीयत की सदभाविकता को धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के प्रावधानानुसार साबित नहीं कर दिया जाता है, तब तक उससे वसीयत के लाभाथी को प्राकृतिक वारिसानों के विरूद्ध कोई हक नहीं मिल सकता है और न ही नामान्तरकरण की एक संक्षिप्त कार्यवाही में यह संभव है। इसके लिये वसीयत के लाभार्थी को सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करके अधिकार घोषणा करानी होगी। वसीयतनामा की वैद्यता की जांच जैसे जटिल बिन्दु का विनिश्चय नामान्तरकरण की कार्यवाही में सम्भव नहीं है न ही राजस्व अदालत का क्षेत्राधिकार है। नामान्तरकरण एक समरी प्रोसीडिंग्स के साथ–साथ एक वित्तीय प्रकृति का मामला भी है । इस प्रकरण में बिना कोई ठोस आधार के एक मृतक खातेदार के विधिक वारिसानों को

उनके हक हककों से वेवजह महरूम नहीं किया जा सकता। लिहाजा मुताबिक सजरा अपीलाधीन विरासतन नामान्तरकरण खोले जाने के अलावा तहत अदालत के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत तहसीलदार भुसावर द्वारा स्वीकृत अपीलधीन नामान्तरकरण संख्या 2464 दिनांक 15.7.2016 में कोई विधिक त्रुटी न होने के कारण हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। लिहाजा अपील अपीलाधीन आधारहीन होने के कारण खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार भुसावर द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2464 दिनांक 15.7.2016 में कोई विधिक त्रुटी न होने के कारण यथावत रखा जाता है।निर्णय आज दिनांक 13.6.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official